



राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015
टेलीफोन नं. 0141-2706830, 2941098 ई-मेल:-rajscoutguide@yahoo.com

क्रमांक: प. ()रा.मु./2023-24/ 4275

दिनांक: - 14/9/2023

सर्कल ओर्गेनाइजर (स्काउट/गाइड)
जिला मुख्यालय
समस्त।

विषय :- 63वां रोवर मूट/49वीं रेंजर मीट।

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय, जयपुर के वार्षिक कार्यक्रमानुसार रोवर/रेंजर की क्षमता, कौशल, परस्पर सहयोग, सेवाभाव, शिविर जीवन, तकनीकी ज्ञान, प्रदर्शन, साहसिक गतिविधियाँ, आत्मविश्वास एवं प्रतियोगिता की भावना को विकसित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय रोवर मूट/रेंजर मीट का आयोजन स्काउट/गाइड, मण्डल प्रशिक्षण केन्द्र, उदयनिवास, उदयपुर में दिनांक 06.10.2023 से 10.10.2023 तक किया जा रहा है। विस्तृत सूचना निम्नानुसार है :-

1.	गतिविधि का नाम	राज्य स्तरीय 63वां रोवर मूट/49वीं रेंजर मीट।												
2.	तिथियाँ	06.10.2023 से 10.10.2023 (प्रथम दिन प्रातः 10:00 बजे तक शिविर में पहुँचना आवश्यक है। अंतिम दिन दोपहर बाद प्रस्थान कर सकेंगे)												
3.	स्थान	स्काउट/गाइड, मण्डल प्रशिक्षण केन्द्र, उदयनिवास, उदयपुर।												
4.	पहुँच	स्काउट/गाइड प्रशिक्षण केन्द्र, उदयनिवास पहुँचने के लिए बस स्टैण्ड व रेल्वे स्टेशन से ठोकर चौहारा पर पहुँचना होगा जहाँ से सफ़ेट मैजिक-ऑटो मिलेंगे। जिनका किराया प्रति सवारी लगभग 50 रु होगा।												
5.	सम्पर्क	श्री प्रमोद कुमार शर्मा - सहायक राज्य संगठन आयुक्त, (स्काउट), मो. 8003097168 श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डे - सर्कल ओर्गेनाइजर (स्काउट) - मो. 8003097183 श्रीमती विजय लक्ष्मी - सर्कल ओर्गेनाइजर (गाइड) - मो. 7976258153												
6.	शुल्क	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>रोवर/रेंजर</th><th>रोवर/रेंजर लीडर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पंजीकरण शुल्क</td><td>80</td><td>80</td></tr> <tr> <td>विकास शुल्क</td><td>100</td><td>200</td></tr> <tr> <td>योग -</td><td>180</td><td>280</td></tr> </tbody> </table> यह शुल्क प्रति शिविरार्थी की दर से शिविर में पहुँचते ही जमा कराना होगा। जो सम्बन्धित महाविद्यालय/विद्यालय कोष से देय होगा। ओपन क्यू/टीम अपने नियमानुसार व्यवस्था करेंगे।		रोवर/रेंजर	रोवर/रेंजर लीडर	पंजीकरण शुल्क	80	80	विकास शुल्क	100	200	योग -	180	280
	रोवर/रेंजर	रोवर/रेंजर लीडर												
पंजीकरण शुल्क	80	80												
विकास शुल्क	100	200												
योग -	180	280												
7.	पंजीकरण	संलग्न पंजीकरण प्रपत्र को पूर्ण व सही प्रविष्टियों सहित दिनांक- 20.09.2023 तक अपने मण्डल मुख्यालय को भेजकर पंजीकरण कराया जावे; यह आवश्यक है।												
8.	योग्यता	- पंजीकृत रोवर क्यू/रेंजर टीम से निपुण उत्तीर्ण हो। निपुण रोवर/रेंजर प्रमाण पत्र की फोटो प्रति साथ लावे। - रोवर/रेंजर के रूप में क्यू/टीम की सक्रिय सदस्यता का कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो, तथा पूर्ण अनुशासित हों। 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 25 वर्ष से अधिक न हो। - पूर्णतः स्वस्थ हों और अत्यधिक श्रम वहन करने की क्षमता रखते हों।												

9.	विशेष	रोवर मूट/रेंजर मीट में सफल संभागित्व एवं प्रतियोगिताओं में सम्मिलित कराने की दृष्टि से एक रोवर क्लू/रेंजर टीम से सर्वश्रेष्ठ (BEST) रोवर/रेंजर को सम्बन्धित रोवर/रेंजर लीडर के नेतृत्व में सम्मिलित कराया जावे। इससे कम या अधिक संख्या में रोवर/रेंजर को स्वीकार नहीं किया जावेगा।																																													
10.	पेट्रोल का सामान	1. प्रदर्शनी एवं शिविर सजावट का सामान, बेनर्स, चार्टर्स, राजस्थानी वेशभूषा, नकली गहनें, कैम्पफायर की तैयारी, सामुदायिक सेवा कार्य की लॉगबुक, सेवाकार्य एवं शिविरों के फोटोग्राफ, दक्षता बैज प्रदर्शन की सामग्री आदि साथ लावे। 2. प्रत्येक पेट्रोल का प्रतिदिन सुबह निरीक्षण किया जायेगा। इसके लिए ट्रूप फ्लेग, पेट्रोल फ्लेग, गेजेट्स का सामान (4 बांस/लाठी प्रति रोवर/रेंजर 8 X 4 कुल = 32 बांस/लाठियाँ) रस्सियाँ, खपच्चियाँ, सूतली जिससे गेट, कपड़ा स्टेण्ड, जूता स्टेण्ड, अलमारी, बर्तन एवं रसोई के गेजेट्स आदि बनाये जायेंगे। <u>उपर्युक्त सामग्री एवं पूर्ण तैयारी के साथ ही शिविर में सहभागिता करावे। इसके अभाव में किसी भी क्लू/टीम के सदस्यों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।</u>																																													
11.	आवृत्ति संख्या पुराने 33 जिलों के अनुसार संख्या आवृत्ति है।	प्रति जिला रोवर 04, रेंजर 03 = कुल 07 सदस्यों की सहभागिता होगी। इसे मण्डल स्तर पर समायोजित नहीं किया जा सकेगा। <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th><th>मण्डल</th><th>रोवर</th><th>रेंजर</th><th>योग</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>अजमेर</td><td>16</td><td>12</td><td>28</td></tr> <tr> <td>2</td><td>भरतपुर</td><td>16</td><td>12</td><td>28</td></tr> <tr> <td>3</td><td>बीकानेर</td><td>20</td><td>15</td><td>35</td></tr> <tr> <td>4</td><td>जयपुर</td><td>16</td><td>12</td><td>28</td></tr> <tr> <td>5</td><td>जोधपुर</td><td>24</td><td>18</td><td>42</td></tr> <tr> <td>6</td><td>कोटा</td><td>16</td><td>12</td><td>28</td></tr> <tr> <td>7</td><td>उदयपुर</td><td>24</td><td>18</td><td>42</td></tr> <tr> <td></td><td>योग</td><td>132</td><td>99</td><td>231</td></tr> </tbody> </table>	क्र.स.	मण्डल	रोवर	रेंजर	योग	1	अजमेर	16	12	28	2	भरतपुर	16	12	28	3	बीकानेर	20	15	35	4	जयपुर	16	12	28	5	जोधपुर	24	18	42	6	कोटा	16	12	28	7	उदयपुर	24	18	42		योग	132	99	231
क्र.स.	मण्डल	रोवर	रेंजर	योग																																											
1	अजमेर	16	12	28																																											
2	भरतपुर	16	12	28																																											
3	बीकानेर	20	15	35																																											
4	जयपुर	16	12	28																																											
5	जोधपुर	24	18	42																																											
6	कोटा	16	12	28																																											
7	उदयपुर	24	18	42																																											
	योग	132	99	231																																											
12.	भोजन व्यवस्था	संभागियों की भोजन व्यवस्था एसोसिएशन द्वारा की जावेगी। भोजन के लिए आवश्यक बर्तन यथा परात, 2 भगोने मय डक्कन, बाल्टी, सब्जी परोसने के लिए चम्मच, चाय की केतली, पानी का कैम्पर, टैण्ट में बिछाने की चटाई/दरी, झाड़ू, फादड़ा, सब्बल आदि साथ लावे। इसी के साथ रोवर्स/रेंजर्स को व्यक्तिगत रूप से खाने-पीने के बर्तन यथा थाली, कटोरी, ग्लास, चम्मच, कप/मग आदि साथ लाना आवश्यक है।																																													
13.	आवास	सभी रोवर/रेंजर एवं रोवर/रेंजर लीडर की आवास व्यवस्था तम्बूओं/हट्स में की जावेगी। बिछाने के लिए दरी/चटाई एवं मौसम के अनुसार बिस्तर, गर्म कपड़े एवं बदलने के कपड़े, टेन्ट्स, सजावट का सामान, व्यक्तिगत रूप से दैनिक उपयोग की सामग्री, स्काउट/गाइड गणवेश आदि साथ लावे।																																													
14.	अवकाश	मूट/मीट में किसी प्रकार का अवकाश या शिविर स्थल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जावेगी।																																													
15.	शैक्षिक भ्रमण	दर्शनीय स्थलों का भ्रमण बसों द्वारा कराये जाने की योजना है, जिस पर लगभग 300 रु. प्रति संभागी व्यय होने की सम्भावना है। यह राशि शिविर में पंजीकरण के समय व्यक्तिगत रूप से जमा करानी होगी।																																													
16.	यात्रा व्यय	संबन्धित विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा देय होगा। स्वतंत्र ग्रुप अपने नियमानुसार व्यवस्था करेंगे।																																													

17. मूट/मीट में निम्नांकित प्रतियोगिताएँ एवं गतिविधियाँ आयोजित होगी। जिसमें सभी की सहभागिता अनिवार्य है, तदनुसार सामग्री साथ लावें :-

क्र.सं.	प्रतियोगिताएँ		अंक
1.	यूनिफॉर्म	APRO पार्ट 2 व 3 के अनुसार पूर्ण होनी चाहिए।	10
2.	शिविर कला	टेन्ट का गेट, बाउन्ड्री, किचन, गेजेट्स, पिट्स, इत्यादि।	20
3.	S.D.G. (Projects)	किसी भी विषय पर पोस्टर तैयार कर कार्डशीट पर विषय वस्तु लिखी हो, रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।	10
4.	ओवर नाइट हाईक	पूरा पेट्रोल भाग लेगा। इसका अलग से प्रमाण-पत्र दिया जावेगा।	20
5.	आपदा प्रबंधन प्रदर्शन	आग लगने, भूकम्प, बाढ़, रोड़, दुर्घटना, प्राकृति आपदा, मानवीय आपदा, बिजली इत्यादि पर पूरे पेट्रोल को सामग्री सहित प्रदर्शन करना होगा।	10
6.	सामान्य ज्ञान	विश्व संबंधी मामले में से किसी एक समस्या पर सभी रोवर/रेंजर को भाग लेना आवश्यक है।	10
7.	फैशन शो	महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन से संबंधित प्रदर्शन	20
8.	लोकनृत्य एवं लोकगीत	पूरा पेट्रोल राजस्थानी वेशभूषा में भाग लेना।	10
9.	टैलेन्ट शॉ	रोवर/रेंजर को अपनी विशेष दक्षता पर प्रदर्शन करना होगा।	10
10.	प्रदर्शनी	ग्रुप द्वारा किये गये कार्यों की फोटोग्रां, पेंटिंग, पुराने सिक्के, नोट, विभिन्न संग्रह, हाथ से बनी सामग्री आदि।	20
11.	स्किल ओ रामा	स्किल ओ रामा के लिए सामग्री साथ लेकर आना आवश्यक है। जिसका शिविर में प्रदर्शन करना होगा।	10
12.	MOP	किसी भी एक प्रोजेक्ट पर कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।	10
13.	क्रू/टीम रिकार्ड	क्रू/टीम रजिस्टर, लॉग बुक, उपस्थिति पंजिका, परिपत्र फाइल, उपलब्धियां, शील्ड प्रमाण-पत्र आदि साथ लावें।	10
14.	दक्षता बैज का प्रदर्शन	प्रत्येक रोवर/रेंजर को निपुण, राज्य पुरस्कार या राष्ट्रपति पाठ्यक्रम में से किसी एक दक्षता बैज का प्रदर्शन करना आवश्यक है। प्रत्येक दक्षता बैज का पाठ्यक्रम पूरी कार्ड शीट पर बैज का चित्र बनाकर लाना आवश्यक है।	10
15.	अनुशासन एवं समय की पाबन्दी	प्रथम दिन से अन्तिम दिन तक पूरे पेट्रोल का मूल्यांकन किया जावेगा।	10
16.	साहसिक गतिविधि	इसमें सभी सदस्यों को भाग लेना आवश्यक है।	10
कुल योग -			200

18. प्रमाण पत्र -

1. कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही के रोवर/रेंजर को सहभागिता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायेंगे।
2. 70 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने पर क्रू/टीम को स्तर प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायेंगे।
3. 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर क्रू/टीम को उच्च स्तर प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायेंगे।
4. ओवर नाइट का प्रमाण-पत्र अलग से दिया जावेगा।

19. विशेष :-

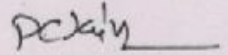
- (अ) प्रायः यह देखा गया है कि कई रोवर्स/रेंजर्स आवश्यक सामग्री यथा - भोजन हेतु आवश्यक बर्तन, दैनिक आवश्यकता की सामग्री, आवास एवं गेजेट्स से संबंधित सामग्री पूर्ण रूप से अपने साथ लेकर नहीं आते हैं। इसके अभाव में संबंधित क्रू/टीम के सदस्यों को शिविर से पुनः लौटाने के साथ ही संबंधित सर्कल

ऑर्गेनाइजर (स्काउट/गाइड) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। अतः इसके लिये यह आवश्यक है कि इसके लिए संबंधित सर्कल ऑर्गेनाइजर स्काउट/गाइड उक्त क्रू/टीम की विजिट कर तैयारी सुनिश्चित करें।

(ब) मण्डल द्वारा प्रमाणीकरण के बिना एवं निर्धारित अवधि पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(स) चयनित संभागियों की सूची राज्य मुख्यालय द्वारा 26.09.2023 को जारी की जावेगी। इसके अभाव में सीधे किसी भी रोवर/रेंजर को शिविर में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

अतः उपरोक्त निर्देशानुसार अपने जिले के क्रू/टीम से रोवर्स/रेंजर्स को संबंधित रोवर/ रेंजर लीडर के नेतृत्व में सहभागिता करवाने की व्यवस्था करावें।

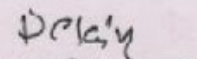

(डॉ. पी. सी. जैन)
राज्य सचिव

दिनांक: 14/9/2023

क्रमांक:- प- ()रा.मु./23-24/4276 -90

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. राज्य मुख्यालय पदाधिकारीगण, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
2. स्टेट कमिशनर(रोवर), राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
4. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/वनस्थली/अजमेर/बीकानेर/ कोटा।
8. राज्य संगठन /प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) राज्य मुख्यालय, जयपुर।
9. जिला मुख्यायुक्त एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त।
10. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड), मण्डल मुख्यालय, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि रोवर मूट/रेंजर मीट की आवश्यक तैयारी की रिपोर्ट भिजवाएँ।
11. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड), मण्डल मुख्यालय, समस्त को प्रेषित कर लेख हैं कि यह परिपत्र संबंधित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में तत्काल भिजवायें। चयनित क्रू/टीम के रोवर्स/रेंजर्स की सूची मण्डल मुख्यालय द्वारा 22.09.2023 तक आवश्यक रूप से राज्य मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।
12. सर्कल ऑर्गेनाइजर (स्काउट/गाइड) जिला मुख्यालय, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि रोवर मूट/रेंजर मीट की आवश्यक तैयारियों की जानकारी भिजवावें।
13. लेखाशाखा, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
14. सहायक प्रोग्रामर, राज्य मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. प्राचार्य/रोवर लीडर


राज्य सचिव



राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015
टेलीफोन नं. 0141-2706830, 2941098, ई-मेल: -rajscoutguide@yahoo.com

राज्य स्तरीय 83वां रोवर मूट/49वीं रेंजर मीट हेतु पंजीकरण प्रपत्र

1. शिविर का नाम - राज्य स्तरीय रोवर मूट/रेंजर मीट
2. स्थान - स्काउट/गाइड, मण्डल प्रशिक्षण केन्द्र, उदय निवास, उदयपुर।
3. दिनांक - 06 से 10 अक्टूबर, 2023
4. क्रू/टीम का नाम व पता -
5. स्थानीय संघ - जिला मण्डल.....
6. रोवर/रेंजर का नाम -
7. पिता/पति का नाम -
8. जन्म तिथि - आयु
9. शैक्षिक योग्यता - व्यवसाय
10. रोवर/रेंजर योग्यता - प्रदेश तिथि
- निपुण प्रमाण पत्र संख्या तिथि
- राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र संख्या तिथि
11. मोबाइल नम्बर -
12. अब तक जिन गतिविधियों में भाग लिया -

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	स्तर	तिथियाँ	स्थान	विशेष विवरण

ह0 रोवर/रेंजर
दिनांक

उपरोक्त सूचनाएँ सही हैं। इनके चयन हेतु अनुशंसा की जाती है।

ह0 रोवर/रेंजर लीडर
दिनांक

ह0 प्राचार्य (मय सील)
दिनांक

ह0 सी.ओ. (स्काउट/गाइड)
दिनांक

मण्डल द्वारा अभिशंसा कर प्रेषित है-

सहायक राज्य संगठन आयुक्त
हस्ताक्षर मय सील
दिनांक